20.8.18	पत्रावली पेश हुई वादी अनु०। रिपोर्ट तहसीलदार वजीरपुर प्राप्त हुई वादी सतीश चन्द एवं गवाह बच्चू पुत्र कजोड़्या के बयान दर्ज किये गये पत्रावली तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं मौखिक साक्ष्य गवाहान का अवलोकन किया गया तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के मार्फत अवगत कराया गया है कि हल्का पटवारी हल्का बगवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार वादी सतीश चन्द पुत्र बच्चू जाति मीणा बगवाड़ी का बोलता नाम किशन पुत्र बच्चू है। तथा किशन व	
सतीश चन्द द: बच्चू		सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

Scanned by CamScanner

सतीश चन्द एक ही व्यक्ति के दो नाम
है दोनों अलग-अलग व्यक्ति नहीं
है तथा विश्राम पुत्र बच्चू जाति मीणा
नाम का अन्य ग्राम बालाहेड़ी में कोई
अन्य व्यक्ति नहीं है साथ ही ग्राम
पंचायत बालाहेड़ी के सरपंच का
प्रमाण पत्र भी तस्दीकशुदा फोटो
प्रति के रूप में भेजा गया है जिसमें
सरपंच बालाहेड़ी द्वारा सतीश चन्द
व विश्राम नाम का एक ही व्यक्ति
होना बताया है वादी ने कथन वाद
पत्र के साथ दस्तावेज पेश किये है
उनमें भी सतीश चन्द पुत्र बच्चू
होना अंकित है तथा अपने गवाह
के रूप में पिता बच्चू पुत्र कजोड़्या
के बयान कराये है जिसमे बच्चू ने
अपने पुत्र का रिकार्ड में नाम सतीश चंद
होना तथा घर का नाम विश्राम होना
बताया है तथा रिकार्ड में विश्राम का
नाम सतीश चन्द दर्ज होने के बाबत
साक्ष्य दी है उपरोक्त समस्त दस्तावेजों
व पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य
के अवलोकन से स्पष्ट है कि सतीश
चन्द व विश्राम एक ही व्यक्ति के
दो नाम है अतः राजस्व रिकार्ड
में विश्राम पुत्र बच्चू के स्थान
पर वादी का नाम सतीश चन्द पुत्र
बच्चू जाति मीणा दर्ज किया जाना

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि आराजी ख० नं० 713 रकबा 0.22 हे० ग्राम बगवाडी [?] में खातेदारी के दर्ज किशन पुत्र बच्चू नाम को हजफ [?] किया जाकर उनके स्थान पर सतीश चन्द पुत्र बच्चू जाति मीना दर्ज किया जावे तथा इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावे। पर्चा रिपोर्ट पृथक से जारी हो। पत्रावली के शामिल शुमार होकर नकल संबंध हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

Scanned by CamScanner